न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1163–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–03–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 340/अपील/2010–11

....

जगदीश पिता भागीरथ ठाकुर
निवासी ए.जे.के.थाने के पीछे,
पटेल शोरूम सिल्वर हिल्स के सामने
इंदौर अहमदाबाद रोड धार म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–कमलेश पिता गजानन्द उपाध्याय
निवासी 57 त्रिमूर्ति नगर धार म0प्र0
2–प्रवीण पिता नारायण पुराणिक
निवासी 51 महात्मा गांधी मार्ग, धार म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री टी0टी0गुप्ता एवं श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदकगण

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 29 पर दिनांक 4—1—1999 को आदेश पारित कर ग्राम मगजपुरा तहसील धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 45/2/2 रकबा 0.329 हेक्टेयर भूमि से आवेदक का नाम कम कर अनावेदकगण का नाम दर्ज किया गया है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 03—04—2006 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 1—3—2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से समाप्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित रहने से स्वत्व के निराकरण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है जबकि व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु निर्धारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कोई स्वत्व नहीं माना है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत बने नामान्तरण नियमों का पालन नहीं किया गया है, जैसा कि इश्तिहार का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही ड्रम पीटा गया है तथा न ही आवेदक को व्यक्तिशः सूचना दी गई है ।

(3) अनावेदकगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं वह न तो प्रस्तुत किया जा सकते थे और न ही उन पर विचार किया जा सकता था, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित किया गया है उन्हें प्रदर्शित नहीं किया गया है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कोई हित नहीं है और न ही उनका कोई स्वत्व है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य था जिसे स्थिर रखने में त्रुटि की गई है ।

(6) अपर आयुक्त को व्यवहार न्याायलय के आदेश की प्रतीक्षा करना चाहिये थी, परन्तु उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के आधार पर निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने के कारण समाप्त कर विधि विरूद्व कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिकी को आधार बनाया जा रहा है जो पूर्णतः गलत है क्योंकि उक्त व्यवहार वाद में अनावेदकगण के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विकय पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु आवेदक की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 25—8—07 को निरस्त किया जा चुका है तथा जिसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है । अतः उक्त विकय पत्र के आधार पर अनावेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य संबंधी अधिकार आज भी प्रभावी है।

(2) व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में हुये नामान्तरण आदेश को निरस्त नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किये गये हैं जो समवर्ती आदेश होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण अपने स्वत्व एवं कब्जे को प्रमाणित करने में असफल रहा है । व्यवहार न्यायालय द्वारा उसका स्वत्व एवं कब्जे संबंधी दावा निरस्त किया गया है जिसकी अपील भी वर्ष 2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा केवल इस आधार पर अपील निरस्त की गई है कि व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण नहीं हुआ है, जबकि

प्रकरण में आये तथ्य से यह पूर्णतः प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन भूमि का मूल भूमिस्वामी आवेदक रहा है । ऐसी स्थिति में यदि व्यवहार न्यायालय से अनावेदकगण का वाद निरस्त हुआ है, तब राजस्व अभिलेखों में पूर्व की स्थिति कायम होना चाहिये । इस संबंध में जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि आवेदक का नाम भू–अभिलेखों में पहले दर्ज रहा है और अनावेदकगण का वाद व्यवहार न्यायालय से निरस्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधि आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जाये कि वे व्यवहार न्यायालय के आदेश को देखते हुये राजस्व अभिलेखों में पूर्व की स्थिति बहाल करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों में पूर्व की स्थिति अनुसार आवेदक का नाम दर्ज करें । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 1191–पीबीआर/2016 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 1192–पीबीआर/2016 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर